संबंधित पक्षकार संव्यवहार

संबंधित पक्षकार के संव्यवहारों की वास्तविकता और
संबंधित पक्षकार संव्यवहार सरोकार पर नीति

विषय-सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
क.	पृष्ठभूमि	
ख.	उद्देश्य	
ग.	परिभाषाएं	
घ.	क्रियाविधि	
ङ.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के अनुमोदन की प्रणाली	
च.	संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की संपुष्टि	
छ.	संबंधित पक्षकार संव्यवहार जो इस नीति के अंतर्गत अनुमोदित न हों	
ज.	प्रकटन	
झ.	नीति में परिवर्तन एवं संशोधन	

क. पृष्ठभूमि

कंपनी अधिनियम, 2013, 30 अगस्त, 2013 को अधिनियमित किया गया, जो सभी कंपनियों के लिए निगम प्रशासन मानदंडों में प्रमुख संशोधन उपलब्ध कराता है। निगम प्रशासन से संबंधित नियमों को 27 मार्च, 2014 को अधिसूचित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षाएं एवं उसके अंतर्गत अधिसूचित नियम प्रत्येक कंपनी या कंपनियों की श्रेणी (सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध दोनों) उसमें यथा उपबंधित, को लागू होंगी।

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में कंपनी के संबंधित पक्षकार संव्यवहारों (''आर पी टी'' के) के संबंध में सरोकार की विस्तृत प्रणाली उपलब्ध है। इसी क्रम में इसमें कतिपय अनुपालन अपेक्षाएं उपलब्ध कराई गई हैं जैसे विशिष्ट परिस्थितियों में बोर्ड का अनुमोदन एवं शेयरधारकों का अनुमोदन। इसके अलावा कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में आर पी टी के लिए लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन का प्रावधान है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी सूचीबद्धता करार (''संशोधित खंड 49'') के खंड 49 को संशोधित किया है, जो 1 अक्टूबर, 2014 से लागू है। संशोधित खंड 49 आर पी टी के लिए अपेक्षित संशोधनों के अलावा यह भी उपबंध करता है कि कंपनी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की वास्तविकता एवं संबंधित पक्षकार संव्यवहारों से सरोकार के संबंध में एक नीति बनाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 में उप बंधित उपर्युक्त उल्लिखित अनुपालन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वहां जारी संबंधित नियमों के साथ पठित और सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के साथ पठित, उसके किन्हीं संशोधनों सहित बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर कार्य करते हुए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल (''एच पी सी एल'' या ''कंपनी'') ने संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की

वास्तविकता और संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के सरोकार के संबंध में निम्न नीति अनुमोदित की है और अपनाई है।

इस नीति में यथा परिभाषित सभी आर पी टी निम्न क्रियाविधियों के अनुसार समीक्षा के अधीन होंगे।

ख. **उद्देश्य**

यह नीति कंपनी और इसके संबंधित पक्षकारों के बीच अनुमोदन प्रणाली और संव्यवहारों की रिपोर्टिंग को परिभाषित करेगी। यह कंपनी अधिनियम, 2013 या सूचीबद्धता करार या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमनों में संशोधन के अनुसरण में संशोधित किया जा सकता है।

ग. परिभाषाएं

1. **<u>आर्म्स लेंथ संव्यवहार</u>** - दो संबंधित पक्षकारों के बीच संव्यवहार उस तरह से किया जाएगा जैसे कि वे संबंधित न हों, ताकि हित का टकराव न हो।

2. **<u>सरकारी कंपनी</u>** - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) उसमें जारी संबंधित नियमों के साथ पठित के अनुसार सरकारी कंपनी का आशय है कोई कंपनी जिसमें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केंद्र सरकार के पक्षकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित अभिदत्त शेयर पूंजी के 51% से कम न हो। जिसमें कंपनी शामिल है जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

3. **<u>व्यवसाय का सामान्य स्वरूप</u>** - गतिविधियां जो आवश्यक, सामान्य और व्यवसाय के प्रति नैमित्तिक हों शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं।

4. **<u>संबंधित पक्षकार</u>** - किसी सांविधिक परिवर्तन, समय-समय पर यथा निर्गमित उसके संशोधनों सहित सूचीबद्धता करार की धारा 49 के अनुसार कोई इंटिटी कंपनी के संबंधित पक्षकार के रूप में मानी जाएगी यदि :

(i) ऐसी इंटिटी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के अंतर्गत कोई संबंधित पक्षकार हो तो; या

(ii) ऐसी इंटिटी प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अंतर्गत संबंधित पक्षकार हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के अनुसार कंपनी के संबंध में संबंधित पक्षकार का आशय है।

(i) निदेशक या उसका रिश्तेदार ;

(ii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसका रिश्तेदार ;

(iii) कोई फर्म जिसमें निदेशक, प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार हो ;

(iv) कोई निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक प्रबंधक या कोई रिश्तेदार सदस्य या निदेशक हो ;

(v) कोई सार्वजनिक कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबंधक निदेशक को और अपने रिश्तेदारों के साथ 2% से अधिक इसकी अभिदत्त शेयर पूंजी धारित करता हो ;

(vi) कोई निगम निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने में अभ्यस्त हो ;

(vii) कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेश या अनुदेश पर निदेशक या प्रबंधक कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो;

बशर्ते, उप खंड (vi और vii) में सलाह, निदेश या व्यावसायिक क्षमता में दिए गए अनुदेशों पर कुछ भी लागू नहीं होंगे ;

(viii) कोई कंपनी जो -

(क) ऐसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी या एसोसिएट कंपनी हो ; या

(ख) होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी हो जिसकी भी यह सहायक कंपनी हो ;

(ix) ऐसी कंपनी या उसके रिश्तेदार का निदेशक (स्वतंत्र निदेशक के अलावा) या होल्डिंग कंपनी की के एम पी।

लेखांकन मानक 18 संबंधित पक्षकार को निम्न तरह परिभाषित करता है - "पक्षकार संबंधित पक्षकार माने जाएंगे यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी समय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर नियंत्रण की योग्यता रखता हो या वित्तीय और / या प्रचालन निर्णयों में दूसरे पक्षकार पर विशेष प्रभाव रख सकता हो"।

लेखांकन मानक 18 केवल संबंधित पक्षकार के संबंधों के बारे में सरोकार रखता है जो निम्न है :

(क) उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या एक से अधिक माध्यमिकों के माध्यम से नियंत्रण या नियंत्रित हों या रिपोर्टिंग उद्यम के सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत हो (इसमें होल्डिंग कंपनियां, सहायक कंपनियां और मित्र सहायक कंपनियां शामिल हैं) ;

(ख) रिपोर्टिंग उद्यम के एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम तथा निवेशक पक्षकार या ऐसे उद्यमी जिसके संबंध में रिपोर्टिंग उद्यम कोई एसोसिएट्स हो या संयुक्त उद्यम हो ;

(ग) व्यक्ति स्वामित्व, रिपोर्टिंग उद्यम के मताधिकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला जो उन्हें उद्यम और ऐसे किसी व्यष्टि के संबंधियों पर नियंत्रण का या उन पर विशेष प्रभाव रखने का अधिकार देता हो ;

(घ) मुख्य प्रबंधन कार्मिक एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधी ; और

(ङ) उद्यम जिन पर (ग) या (घ) में विहित कोई व्यक्ति विशेष प्रभाव रखने में समर्थ हो। इसमें रिपोर्टिंग उद्यम के निदेशकों या प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्व के उद्यम शामिल हैं और वे उद्यम जिनमें रिपोर्टिंग उद्यम का प्रमुख प्रबंधन सदस्य सामान्य हो।

इस लेखांकन मानक के संदर्भ में निम्न को संबंधित पक्षकार नहीं माना जाएगा :

(क) दो कंपनियां साधारण रूप से सामान्य निदेशक रखती हों, जो उपर्युक्त परिच्छेद (घ) या (ङ) को छोड़कर (जब तक निदेशक दोनों कंपनियों की नीतियों को अपने परस्पर व्यवहारों में प्रभावित करने में समर्थ न हो) ;

(ख) एकल ग्राहक, आपूर्तिकार, फ्रैंचाइजर, वितरक या सामान्य एजेंट जिसके साथ कोई उद्यम परिणामी आर्थिक निर्भरता मात्र के कारण कोई उद्यम व्यवसाय के विशेष आयतन का संव्यवहार करता हो ; और

(ग) निम्न सूचीबद्ध पक्षकार किसी उद्यम के साथ अपने सामान्य संव्यवहारों के दौरान केवल उन व्यवहारों के कारण (यद्यपि वे उद्यम की कार्रवाईयों की स्वतंत्रता से दबे हों या अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिभागिता करते हों) :

(i) वित्त प्रदाता ;

(ii) ट्रेड यूनियन ;

(iii) सार्वजनिक उपयोगिताएं ;

(iv) सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों सहित सरकारी विभाग और सरकारी एजेंसियां ;

जहां तक अन्य सरकार नियंत्रित उद्यमों एवं ऐसे उद्यमों के साथ संव्यवहारों के संबंधित पक्षकार के संबंधों का सवाल है। सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों में किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। सरकार नियंत्रित उद्यम का आशय है कोई उद्यम जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार (रों) के नियंत्रण के अंतर्गत कोई उद्यम।

5. <u>संबंधित पक्षकार संव्यवहार</u>

क) इसका ध्यान दिए बगैर कि कोई मूल्य प्रभारित किया जा रहा है या नहीं संशोधित खंड 49 के अनुसार, संबंधित पक्षकार संव्यवहार किसी कंपनी और संबंधित पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का स्थानांतरण होता है।

ब्याख्या : संबंधित पक्षकार के साथ कोई 'संव्यवहार' ऐसा माना जाएगा कि उसमें एक संव्यवहार या संविदा के संव्यवहारों का समूह शामिल है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार में संबंधित पक्षकारों के बीच निम्न संव्यवहार शामिल है :

- किसी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति।
- किसी प्रकार की संपत्ति की बिक्री या अन्यथा निपटान या खरीद।
- किसी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना ;
- किसी प्रकार की सेवाओं का प्राप्त करना या प्रदान करना ;

- माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति ;
- कंपनी, इसकी सहायक कंपनी या एसोसिएट्स कंपनी के किसी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसे संबंधित पक्षकार की नियुक्ति ; और
- किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसके डेरिवेटिव के अंशदान की हामीदारी ;

6. <u>वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहार</u>

क) संशोधित खंड 49 के अनुसार वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहार का आशय है कोई संबंधित पक्षकार संव्यवहार / अनेक संव्यवहार जो व्यक्तिगत रूप से किए गए हों या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले संव्यवहारों के साथ किए गए हों, जो कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% से अधिक हों ; और

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और उस पर जारी संबंधित नियमों के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार का सांविधिक परिवर्तन, उसका संशोधन जो समय-समय पर जारी किया जाए। वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहार का आशय है ऐसे संव्यवहार जो आर्म्स लेंथ का आधार न हो और / या व्यवसाय के सामान्य क्रम में न हो और यथा उल्लिखित निम्न विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के लिए उप बंधित सीमाओं से अधिक हो।

रक्षित संव्यवहार	संव्यवहार मूल्य
किसी माल या सामग्री की सीधे या किसी	टर्नओवर के 10% से अधिक या 100 करोड़

एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से बिक्री, खरीद या आपूर्ति। *	रूपए जो भी कम हो।
प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी प्रकार की संपत्ति की बिक्री या अन्यथा निपटान या खरीद।	निवल संपत्ति के 10% से अधिक या 100 करोड़ रूपए जो भी कम हो।
किसी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना। *	टर्नओवर या निवल संपत्ति के 10% से अधिक या 100 करोड़ रूपए जो भी कम हो।
सीधे या किसी एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किन्हीं सेवाओं का प्राप्त करना या प्रदान करना। *	टर्नओवर के 10% से अधिक या 50 करोड़ रूपए जो भी कम हो।
ऐसे संबंधित पक्षकारों की किसी कार्यालय या कंपनी के लाभ के स्थान में, इसकी सहायक कंपनी या एसोसिएट्स कंपनी में नियुक्ति।	मासिक पारिश्रमिक जो 2.5 लाख रूपए से अधिक हो।
कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसके डेरिवेटिव के अंशदान की हामीदारी के लिए पारिश्रमिक। *	निवल संपत्ति के 1% से अधिक।

* सीमाएं इन संव्यवहारों पर या व्यक्तिगत रूप से किए गए संव्यवहारों या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले संव्यवहारों के साथ किए गए कुल संव्यवहारों पर लागू होंगे।

ब्याख्या - उपर्युक्त संदर्भित टर्नओवर या निवल संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर होंगे।

7. **<u>रिश्तेदार</u>** – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और उस पर जारी संबंधित नियमों के साथ पठित और किन्हीं सांविधिक परिवर्तनों, उसके संशोधनों सहित जो समय-समय पर जारी किए गए हों। किसी व्यक्ति के संदर्भ में रिश्तेदार का आशय है कोई व्यक्ति जो दूसरे से संबंधित हो, यदि -

(i) वे हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हों ;

(ii) वे पति और पत्नी हों ; या

(iii) कोई व्यक्ति दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा यदि वह दूसरे से निम्न तरह संबंधित हो नामत:

(क) पिता : बशर्ते 'पिता' शब्द में सौतेला पिता शामिल है।

(ख) माता : बशर्ते 'माता' शब्द में सौतेली माता शामिल है।

(ग)पुत्र : बशर्ते 'पुत्र' शब्द में सौतेला पुत्र शामिल है।

(घ) बहु :

(ङ) पुत्री :

(च) दामाद :

(छ) भाई : बशर्ते 'भाई' शब्द में सौतेला भाई शामिल है।

(ज) बहन : बशर्ते 'बहन' शब्द में सौतेली बहन शामिल है।

8. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के एम पी) – किसी कंपनी के संबंध में, आशय है

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक ;

(ii) कंपनी सचिव ;

(iii) पूर्णकालिक निदेशक ;

(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी ; और

(v) ऐसा अन्य अधिकारी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विहित किया जाए।

9. सहायक कंपनी - सहायक कंपनी शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हो और किन्हीं सांविधिक परिवर्तनों एवं उसके संशोधनों सहित समय-समय पर जारी उस पर जारी संबंधित नियमों के साथ पठित के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हो।

घ. क्रियाविधि

1. सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति इस नीति की तारीख को मौजूद या कंपनी द्वारा प्रविष्ट प्रस्तावित नीति पर सभी संबंधित पक्षकार संव्यवहारों की समीक्षा और अनुमोदन करेगी।
2. **क) बहुप्रयोजन अनुमोदन –** लेखा परीक्षा समिति संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को बहुप्रयोजन देगी बशर्ते यह संतुष्ट हो कि कंपनी के हित में ऐसा अनुमोदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अनुमोदन प्रस्तावित संव्यवहार के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा मंजूर किया जाएगा जो निम्न के अधीन होगा :

   i) संव्यवहार बारंबार स्वरूप के हों ;

   ii) निम्न सहित लेखा परीक्षा समिति को पर्याप्त प्रकटन किया जाए ;

      क. संबंधित पक्षकार के नाम

   iii) संव्यवहार का स्वरूप

      ख. संव्यवहार की अवधि

      ग. अधिकतम संव्यवहार राशि जो प्रविष्टि की जाए

      घ. इंगित आधार मूल्य / वर्तमान संविदा मूल्य और मूल्य के अंतर के लिए सूत्र यदि कोई हो और

      ङ. ऐसी कोई अन्य शर्त जिसे लेखा परीक्षा समिति उचित समझे

   ख. यदि ऐसा कोई संव्यवहार वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहार माना जाए तो लेखा परीक्षा समिति इसके अनुमोदन के लिए बोर्ड से सिफारिश करेगी और कंपनी के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

3. यदि बिंदु **2** में उल्लिखित उपर्युक्त विवरण उपलब्ध न हों या संबंधित पक्षकार संव्यवहार की आवश्यकता महसूस न हो तो लेखा परीक्षा समिति किसी एक संव्यवहार या कई संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन मंजूर करेगी, जो प्रति संव्यवहार 1 करोड़ रूपए मूल्य के अधीन होगा।

यदि ऐसे संव्यवहार 1 करोड़ रूपए की दहलीज सीमा से अधिक हों और कंपनी उक्त संव्यवहार के लिए लेखा परीक्षा समिति के बहुप्रयोजन अनुमोदन जारी रखने का प्रस्ताव करती हो तो ऐसी स्थिति में उक्त संव्यवहार जारी रखने के लिए कंपनी को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष आवश्यक प्रकटन / सूचना देनी अपेक्षित होगी और लेखा परीक्षा समिति बहुप्रयोजन अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति उपर्युक्त उल्लिखित कसौटियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे संव्यवहारों का मूल्यांकन करेगी।

4. लेखा परीक्षा समिति दिए गए प्रत्येक बहुप्रयोजन अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रविष्ट आर पी टी के विवरण तिमाही आधार पर कम से कम एक बार समीक्षा करेगी। इसी क्रम में ऐसा बहुप्रयोजन अनुमोदन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा और एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात नया अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

5. लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन से छूट – सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार निम्न संव्यवहार लेखा परीक्षा समिमि का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त होंगे। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

i) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अन्य सरकारी कंपनियों के साथ प्रविष्ट संव्यवहार।

ii) एच पी सी एल और इसके संपूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के बीच प्रविष्ट संव्यवहार जिसके लेखे एच पी सी एल के साथ समेकित हों।

ऐसे संव्यवहारों के मामले में आर्म्स लेंथ और / या व्यवसाय के सामान्य अवधि में नहीं होंगे तो लेखा परीक्षा समिति ऐसे संव्यवहारों के अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल से सिफारिश करेगी।

6. लेखा परीक्षा समिति को उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण - कंपनी अधिनियम, 2013 और उस पर जारी नियमों के साथ पठित एवं संशोधित खंड 49 तथा सांविधिक परिवर्तन एवं उसके संशोधनों सहित संबंधित पक्षकार संव्यवहार निम्न सूचना जो प्रासंगिक सीमा तक हो, लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी :

- संव्यवहार का सामान्य विवरण, उसके स्वरूप, संविदा की अवधि, वास्तविक निबंधन एवं शर्तो एवं संविदा के विवरण या व्यवस्था सहित।
- संबंधित पक्षकार का नाम और आधार जिस पर ऐसे व्यक्ति या इंटिटी संबंधित पक्षकार हों।
- निदेशक या के एम पी का नाम जो संबंधित हों।
- संबंध का स्वरूप।
- संविदा या व्यवस्था के लिए भुगतान या प्राप्त कोई अग्रिम, यदि कोई हो।
- संव्यवहार की अवधि।
- संव्यवहार की अधिकतम राशि जो प्रविष्ट की जा सके।
- संबंधित पक्षकार की स्थिति या संबंध, या स्वामित्व, या इंटिटी सहित संव्यवहारों में संबंधित पक्षकार का हित जो संव्यवहार में पक्षकार हो या उसका हित हो।
- इंगित आधार मूल्य / वर्तमान संविदा मूल्य और मूल्य में परिवर्तन का सूत्र, यदि कोई हो। अन्य वाणिज्यिक शर्ते, दोनों संविदा के भाग के रूप में शामिल हैं और संविदा के भाग के रूप में नहीं मानी जाएंगी।
- संव्यवहारों में संव्यवहार या संबंधित पक्षकार के हित के संबंध में कोई अन्य वास्तविक सूचना।

7. लेखा परीक्षा समिति संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के परवर्ती संव्यवहारों के परिवर्तन की समीक्षा और अनुमोदन भी करेगी।

8. बोर्ड / शेयरधारकों का अनुमोदन – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार निदेशक मंडल और कंपनी के शेयरधारक निम्न के संबंध में संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान करेंगे :

क. कंपनी अधिनियम, 2013 **के अनुसार निदेशक मंडल और शेयरधारकों का अनुमोदन –** सभी संबंधित पक्षकार संव्यवहार जो या तो आर्म्स लेंथ आधार पर अथवा व्यवसाय के सामान्य अवधि में न हों उसके लिए लेखा परीक्षा

समिति द्वारा निदेशक मंडल के अनुमोदन की सिफारिश की जानी चाहिए। यदि उक्त संव्यवहार वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहार हो, जो उपर्युक्त खंड ग 6 (ख) के अंतर्गत उप बंधित हो तो निदेशक मंडल इसी क्रम में कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश करेगा।

ख.सूचीबद्धता करार के अनुसार निदेशक मंडल और शेयरधारकों का अनुमोदन – सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार जो उपर्युक्त खंड ग 6 (क) के अंतर्गत उप बंधित हो। सभी वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहार निदेशक मंडल अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत किए जाएंगे। निदेशक मंडल इसी क्रम में कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश करेगा।

संबंधित पक्षकारों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी इंटिटियां इसका बगैर ध्यान दिए कि इंटिटी किसी विशेष संव्यवहार की पक्षकार है या नहीं शेयरधारकों की बैठक में मतदान से वंचित रहेंगी।

इसी क्रम में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो किसी तरह, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था या होने वाली व्यवस्था में सरोकार रखता हो या हित रखता हो, तो बोर्ड की बैठक में अपने सरोकार या हित के स्वरूप को प्रकट करेगा जिसमें संविदा या व्यवस्था पर चर्चा हो रही हो और ऐसी बैठक में प्रतिभागिता नहीं करेगा।

ग. शेयरधारकों के अनुमोदन से छूट – सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार निम्न संव्यवहार शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त हैं।

i) एच पी सी एल द्वारा सरकारी कंपनियों के साथ किए गए संव्यवहार।

ii) एच पी सी एल और इसके पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों के बीच किए गए संव्यवहार जिसके लेखे एच पी सी एल के साथ समेकित हों।

हालांकि, उपर्युक्त संव्यवहारों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक होगा, यदि वे व्यवसाय के सामान्य अवधि में और / या आर्म्स लेंथ आधार पर न हों और उपर्युक्त खंड ग 6 (ख) के अंतर्गत विहित सीमाओं से अधिक हों।

घ. सभी मौजूदा वास्तविक संबंधित पक्षकार संविदाएं या व्यवस्थाएं जो सेबी के परिपत्र अर्थात 17 अप्रैल, 2014 को हुई हों और जिनके 31 मार्च, 2015 के आगे जारी रहने की संभावना हो, उन्हें 1 अक्टूबर, 2014 के बाद पहली सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

ङ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और उस पर जारी संबंधित नियमों के साथ पठित पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के मामले में होल्डिंग कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच किए गए संव्यवहारों के उद्देश्य से पर्याप्त होंगे।

ङ.एच पी सी एल में संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए अनुमोदन की प्रणाली

क. संव्यवहार जो आर्म्स लेंथ के आधार पर हों और व्यवसाय के सामान्य अवधि में हों

- सभी संव्यवहारों के लिए लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन।
- बोर्ड ऐसे संव्यवहारों को ध्यान में रखेगा।
- यदि संव्यवहारों का मूल्य उपर्युक्त खंड ग 6 (क) के अंतर्गत उप बंधित सीमाओं से अधिक हो तो विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों का अनुमोदन।

ख. संव्यवहार जो आर्म्स लेंथ और/या व्यवसाय के सामान्य अवधि के आधार पर न हों

- सभी संव्यवहारों के लिए लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन।
- सभी संव्यवहारों के लिए बोर्ड का अनुमोदन।

- यदि संव्यवहारों का मूल्य उपर्युक्त खंड ग 6 (क) या ग 6 (ख) के अंतर्गत उप बंधित सीमाओं से अधिक हो तो विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों का अनुमोदन, जैसी भी स्थिति हो।

ग. संक्रमित प्रावधान

- सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार सभी संव्यवहार जो 1 अप्रैल, 2014 के पहले किए गए हों और जिनके 31 मार्च, 2015 के आगे तक जारी रहने की संभावना हो और उपर्युक्त खंड ग 6 (क) के अंतर्गत उप बंधित सीमाओं से संव्यवहार अधिक हों तो 1 अक्टूबर, 2014 के बाद अनुसूचित सामान्य बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक होगा।

- सभी संव्यवहार जो 1 अप्रैल, 2014 के बाद किए गए हों उनके लिए लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि खंड ग 6 (क) या ग 6 (ख), जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत उप बंधित सीमाओं से संव्यवहार अधिक हों तो बोर्ड / शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक होगा।

च. संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का रेटिफिकेशन

जब कोई संविदा या व्यवस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निदेशक या लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड या कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त किए बिना, जैसी भी स्थिति हो अनन्य रूप से की जाए तो जिस दिन से ऐसी संविदा या व्यवस्था की गई हो उससे 6 महीनों के भीतर शेयरधारकों की बैठक में बोर्ड द्वारा ऐसे संव्यवहार को रेटिफायर किया जाएगा।

यदि ऐसे संव्यवहार विशिष्ट अवधि के भीतर रेटिफाई न किए जाएं तो ऐसी संविदा या व्यवस्था बोर्ड के विकल्प पर शून्य मानी जाएगी और यदि संविदा या व्यवस्था किसी

निदेशक के संबंधित पक्षकार के साथ हो या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत हो तो संबंधित निदेशक कंपनी को इसके द्वारा हुई किसी नुकसान की भरपाई करेंगे।

छ. इस नीति के अंतर्गत संबंधित पक्षकार संव्यवहार जो अनुमोदित न किए गए हों

नीति के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यवहार प्राप्त करने के लिए हुई चूक की स्थिति में लेखा परीक्षा समिति द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी।

ज.प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के अनुसार बोर्ड / शेयरधारकों के अनुमोदन से संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रत्येक संविदा या व्यवस्था जो नीति के खंड ग 6 (ख) के अंतर्गत यथा उप बंधित हो। उसे ऐसी संविदा या व्यवस्था करने के लिए औचित्य के साथ शेयरधारकों को रिपोर्ट करने के लिए बोर्ड को भेजी जाएगी।

स्टॉक एक्सचेंजों में फाईल की जाने वाली निगम प्रशासन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ तिमाही आधार पर नीति के खंड ग 6 (क) के अनुसार वास्तविक संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण प्रकट किया जाएगा।

कंपनी अपनी वेबसाईट पर संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के कारोबार पर प्रकटन करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसका लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

झ.नीति में परिवर्तन एवं संशोधन

लेखा परीक्षा समिति कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत नियमित नियमों, सूचीबद्धता करार और इस संबंध में प्रभावी अगले संशोधनों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर यथा अपेक्षित इस नीति की समीक्षा और संशोधन करेगी। किसी परवर्ती अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश या कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित सूचीबद्धता करार, लेखांकन मानकों एवं अन्य सभी प्रयोज्य विधियों जो समय-

समय पर जारी की जाए के अनुसार इस नीति में बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के यथोचित परिवर्तनों के साथ प्रयोज्य होंगी।